ई–मेल

कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./2017/ लखनऊः दिनांक 05/05/2017

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

1– पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/ जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 नरेश कुमार मित्तल–4747	स्व0 धनीराम अग्रवाल	08.01.1953	31.01.2013	एम0एस0 जनरल सर्जरी	जिला चिकित्सालय मथुरा
2.	डा0 सुदामा प्रसाद–	स्व0 पखण्डू	17.07.1955	31.07.2015	डी0एम0आर0डी0	जिला संयुक्त चिकित्सालय चंदौली
3.	डा0 अशोक कुमार सिंह–4488	स्व0 विजय बहादुर सिंह	30.05.1955	30.05.2015	डी0ओ0एम0एस0	एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय वाराणसी
4.	डा0 दीना नाथ सिंह–6161	स्व0 केदार नाथ सिंह	08.10.1952	31.10.2012	डी0 आर्थ0	जिला संयुक्त चिकित्सालय चंदौली
5.	डा0 रविन्द्र कुमार अग्रवाल–4697	स्व0 कमला प्रसाद अग्रवाल	27.07.1952	31.07.2012	डी0ए0	जिला संयुक्त चिकित्सालय चंदौली
6.	डा0 हरी चन्द्र पिपल–7405	स्व0 भजन लाल	20.07.1955	31.07.2015	डी0ए0	जिला चिकित्सालय एवं क्षयरोग्य आश्रम फिरोजाबाद
7.	डा0 आलोक कुमार मिश्रा–5470	स्व0 कृष्ण कुमार मिश्रा	23.01.1955	31.01.2015	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय, आगरा
8.	डा0 राम नाथ सिंह–5000	स्व0 यदुनाथ सिंह	03.07.1955	31.07.2015	डी0 आर्थ0	डा0 आर0एम0एल0 पुरूष चिकित्सालय फर्रूखाबाद
9.	डा0 सुभाष चन्द्रा–4291	श्री बिशम्भर नाथ	13.08.1952	31.08.2012	डी0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय एटा
10.	डा0 किशन लाल वर्मा–5644	स्व0 काली चरन वर्मा	23.05.1955	31.05.2015	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय सीतापुर
11.	डा0 प्रकाश चन्द्र–5361	स्व0 बद्री नारायण	01.06.1955	31.05.2015	डी0सी0पी0 (पैथोलाजी)	जिला संयुक्त चिकित्सालय सोनभ्रद
12.	डा0 ओम प्रकाश सिंह–	स्व0 रामधीर सिंह	01.07.1953	30.06.2013	डी0ए0	जिला संयुक्त चिकित्सालय चंदौली
13.	डा0 मुरारी प्रसाद वर्मा–5481	स्व0 राम प्रसाद वर्मा	20.07.1955	30.07.2015	डी0 आर्थ0	मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय, इलाहाबाद
14.	डा0 वीरेन्द्र कुमार लाल–4956	स्व0 पन्ना लाल	16.05.1953	31.05.2013	डी0टी0सी0डी0	जिला चिकित्सालय फैजाबाद
15.	डा0 राजेश्वर प्रसाद गुप्ता–5592	स्व0 राम अधार गुप्ता	01.07.1955	30.06.2015	डी0 आर्थ0	जिला चिकित्सालय बलिया
16.	डा0 अमरेन्द्र बहादुर सिंह–5407	स्व0 पुतान सिंह	02.08.1955	31.08.2015	डी0ए0	जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी

Batra